

न्यायालय :- अपर सत्र न्यायाधीश गोहद, जिला भिण्ड मध्य-प्रदेश

प्रकरण क्रमांक 201/2010 सत्रवाद

संस्थिति दिनांक 20-08-2010

मध्य प्रदेश शासन द्वारा आरक्षी केन्द्र  
मौ जिला भिण्ड म0प्र0।

-----अभियोजन

### बनाम

1. सुरेन्द्रसिंह उर्फ मोदी पुत्र शिवरामसिंह राजपूत उम्र 37 वर्ष।
2. हरेन्द्रसिंह पुत्र जगदेवसिंह राजपूत उम्र 37 वर्ष।
3. गंभीरसिंह पुत्र गिरवरसिंह राजपूत उम्र 47 वर्ष।
4. शिवरामसिंह पुत्र गिरवरसिंह राजपूत उम्र 52 वर्ष।
5. जगदेवसिंह पुत्र गिरवरसिंह राजपूत उम्र 65 वर्ष।  
समस्त निवासी ग्राम अधियारी खुर्द थाना मौ,  
जिला भिण्ड म0प्र0।
6. धर्मेन्द्र सिंह उर्फ बंटी पुत्र जगदेवसिंह उम्र 32 वर्ष। निवासी- ग्राम अधियानी खुर्द, थाना मौ,  
जिला भिण्ड म0प्र0, हाल निवासी- शिवाजी नगर  
(रामगोपालसिंह तोमर का मकान) लश्कर आम  
खो, थाना कम्पू, जिला ग्वालियर म0प्र0
7. अभिलाखसिंह पुत्र अजबसिंह राजपूत उम्र 60 वर्ष। निवासी- ग्राम जारेट थाना मौ, जिला  
भिण्ड म0प्र0।

-----अभियुक्तगण

न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी गोहद श्री सुशील कुमार  
के न्यायालय के मूल आपराधिक प्र0कं0 398/2010 इ0फौ0  
से उद्भूत यह सत्र प्रकरण क्र0 201/2010

शासन द्वारा अपर लोक अभियोजक श्री दीवान सिंह गुर्जर।  
अभियुक्तगण द्वारा श्री जी0एस0गुर्जर अधिवक्ता।

---

//निर्णय//

//आज दिनांक 24-06-2016 को घोषित किया गया//

01. आरोपीगण जगदेव, शिवराम, हरेन्द्र का विचारण धारा 148, 307 विकल्प में धारा 307/149, 324/149 भा0दं0वि0 के आरोप के संबंध में किया जा रहा है, इसके अतिरिक्त आरोपी जगदेव का विचारण धारा 25(1-बी)ए, 27 आयुध अधिनियम के आरोप के लिए भी किया जा रहा है, जबकि आरोपीगण अभिलाख, बंटी, गंभीरसिंह, मोदी उर्फ सुरेन्द्र का विचारण धारा 147, 324/149, 307/149 भा0दं0वि0 के अपराध के आरोप के संबंध में किया जा रहा है। उन पर आरोप है कि दिनांक 21.01.2010 को 14:45 बजे प्राथमिक शाला ग्राम अधियारी खुर्द थाना मौ क्षेत्र में विधि विरुद्ध समूह का गठन किया और उसके सदस्य रहते हुए उसका सामान्य उद्देश्य मारपीट, बल व हिंसा का प्रयोग करने का था और इस दौरान बल व हिंसा का प्रयोग कर बलवा कारित किया गया जो कि आरोपी जगदेव एवं हरेन्द्र तथा शिवराम इस दौरान आघत आयुध 12बोर बंदूक, कुल्हाड़ियों से सुसज्जित थे। उन पर यह भी आरोप है कि उपरोक्त दिनांक समय स्थान पर 12 बोर बंदूक से मुन्नालाल पर फायर इस आशय या ज्ञान से तथा ऐसी परिस्थितियों में सहआरोपी जगदेव के द्वारा फायर किया गया कि यदि मुन्ना की मृत्यु हो जाती तो आरोपी हत्या के दोषी होते और इस प्रकार उसे उपहति कारित की, जबकि अन्य सहआरोपीगण पर विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य रहते हुए उसके सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में कार्य करते हुए मुन्ना की हत्या के प्रयत्न के संबंध में आरोप है तथा आरोपी हरेन्द्र पर यह भी आरोप है कि उपरोक्त दिनांक समय स्थान पर आहत विजयराम, गुरुदयाल तथा आरोपी शिवराम पर आहत राजेन्द्र को धारदार हथियार कुल्हाड़ी से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की एवं अन्य सहआरोपीगण पर उपरोक्त आरोपीगण के साथ मिलकर सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में कार्य करते हुए इस दौरान धारदार हथियार से आहत विजयराम, गुरुदयाल व राजेन्द्र को मारपीट कर उपहति कारित की गई। इसके अतिरिक्त आरोपी जगदेव पर यह भी आरोप है कि वह अपने आधिपत्य में एक 12बोर की एक नाली बंदूक व तीन जिंदा कारतूस बिना वैध अनुज्ञप्ति के रखे हुए पाया गया जिसका उपयोग उसने घटना कारित करने में किया।

02. यह अविवादित है कि आरोपीगण एवं फरियादी पक्ष पूर्व से एक दूसरे को जानते पहचानते हैं। यह भी अविवादित है कि ग्राम पंचायत अधियारीखुर्द में पंचायत चुनाव चल रहा था जिसमें कि फरियादी सुरमेश एवं आरोपी जगदेव दोनों सरपंच पद के प्रत्यासी थे। यह अविवादित है कि प्रकरण में पक्षकारों के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर आरोपीगण जगदेवसिंह, शिवरामसिंह, गंभीरीसिंह, हरेन्द्रसिंह, धर्मेन्द्रसिंह, सुरेन्द्रसिंह और अभिलाखसिंह को धारा 323 भा0दं0वि0 के आरोप से दोषमुक्त किया जा चुका है।

03. अभियोजन प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार से रहा है कि दिनांक 21.01.2010 को प्राथमिक शाला भवन अधियारी खुर्द थाना मौ जहाँ कि ग्राम पंचायत का चुनाव चल रहा था। उक्त चुनाव में फरियादी सुरमेश सरपंच का प्रत्यासी था तथा आरोपी जगदेवसिंह भी उस चुनाव में सरपंच पद का प्रत्यासी था। उपरोक्त दिनांक को दिन के करीब 02:30 बजे फरियादी सुरमेशसिंह भी अपना बोट डालने के लिए मदतान केन्द्र में पहुँचा। करीब पौने तीन बजे जगदेवसिंह का लडका हरेन्द्र गांव की किसी महिला का दुवारा फर्जी बोट डलवाने लाया तो उसका उन्होंने विरोध किया तो पीठासीन अधिकारी ने उस महिला को बाहर निकाल दिया। मतदान केन्द्र के बाहर जगदेवसिंह उसका लडका हरेन्द्र, भाई गंभीरसिंह, शिवरामसिंह, बंटी उर्फ धर्मेन्द्र, मोदी व अभिलाखसिंह फरियादी से गाली गलोज करने लगे और उसे पकड़कर स्कूल की बाउंडरी के बाहर ले आए तथा लात घूसों से मारपीट करने लगे, इसी दौरान स्कूल के बाहर मौजूद उसका पिता राजेन्द्रसिंह, चाचा विजयराम, गांव के गुरुदयाल यादव, मुन्नालाल यादव और उसका लडका दीपक, शैलू यादव उसे बचाने के लिए आए। आरोपी जगदेवसिंह 12बोर की बंदूक और शिवराम व हरेन्द्र कुल्हाड़ी लिए हुए थे, जगदेव ने उन्हें जान से मारने की नियत से गोली चलाई जो कि मुन्ना के बाह और छाती में छर्रे लगे। शिवराम ने उसके पिता राजेन्द्रसिंह को हरेन्द्र ने, गुरुदयाल के सिर में कुल्हाड़ी मारी जिससे चोट लगकर खून निकल आया। आरोपी अभिलाख भी मारपीट की घटना में आरोपीगण के साथ था। झगडा बढ़ गया तो मतदान केन्द्र पर मौजूद पुलिस ने हवाई फायर किया जिससे आरोपी भाग गए। घटना की रिपोर्ट फरियादी सुरमेशसिंह के द्वारा थाना मौ में की गई जिस पर प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी. 4 की अप0कं0 06/2010 धारा 307, 336, 147, 148, 149 भा0दं0वि0 के अंतर्गत लेखबद्ध की गई। आहत मुन्नासिंह, राजेन्द्रसिंह व गुरुदयाल का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया। घटनास्थल का नक्शामौका प्र.पी. 10 के अनुसार बनाया गया, साक्षियों के कथन लेखबद्ध किए गए। घटनास्थल से खून आलूदा मिट्टी, सादी मिट्टी, 12बोर बंदूक का खोखा तथा 315 बोर का खाली खोखा जप्त किया गया। आरोपी जगदेवसिंह को

गिरफ्तार कर उसका मेमोरेण्डम कथन लिया गया जिसके आधार पर दिनांक 07.07.2010 को जगदेवसिंह के खेत पर स्थित मकान ग्राम अधियारी खुर्द से एक 12 बोर की एकनाली बंदूक तथा 12बोर के तीन जिंदा कारतूस प्र.पी. 13 के अनुसार जप्त किये गए। आरोपीगण हरेन्द्रसिंह व शिवरामसिंह से कुल्हाडी की जप्ती की गई। शेष आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया। प्रकरण में जप्तशुदा वस्तुओं को राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोग शाला भेजा गया। प्रकरण की सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोगपत्र जे0एम0एफ0सी न्यायालय में पेश किया गया जो कि कमिटि उपरांत माननीय जिला सत्र न्यायाधीश महोदय के आदेशानुसार विचारण हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है।

04. आरोपीगण जगदेव, शिवराम, हरेन्द्र के विरुद्ध धारा 323, 148, 307 विकल्प में धारा 307/149, 324/149 भा0दं0वि0 एवं आरोपीगण अभिलाख, बंटी, गंभीरसिंह, मोदी उर्फ सुरेन्द्र के विरुद्ध धारा 323, 147, 324/149, 307/149 भा0दं0वि0 का आरोप पाय जाने से एवं इसके अतिरिक्त आरोपी जगदेव के विरुद्ध धारा 25(1-बी)ए, 27 आयुध अधिनियम भा0दं0वि0 का भी आरोप पाया जाने से आरोप लगाकर पढकर सुनाया समझाया गया। आरोपीगण ने जुर्म अस्वीकार किया उनकी प्ली लेखबद्ध की गई। प्रकरण में आरोपीगण को राजीनामा के आधार पर धारा 323 भा0दं0वि0 के आरोप से दोषमुक्त किया जा चुका है।

05. दं.प्र.सं. के प्रावधानों के अनुसार अभियुक्त परीक्षण किया गया। अभियुक्त परीक्षण में अभियुक्तगण ने स्वयं को निर्दोश होना बताते हुए झूठा फंसाया जाना अभिकथित किया है तथा पंचायती चुनाव की रंजिश के कारण एवं इस प्रकरण के फरियादी हरेन्द्र की रिपोर्ट से खुद को बचाने के लिए झूठा प्रकरण पंजीबद्ध कराया है। जबकि फरियादी पक्ष के मुन्ना, दीपक व शैलू ने जान से मारने की नियत से गोली चलाई थी जो कि जयदेवी को लगी थी। बचाव में बचाव साक्षी नारायणसिंह ब0सा0 1 का कथन कराया गया है, जिसके द्वारा बताया गया है कि घटना दिनांक को जगदेवसिंह के पास कोई बंदूक नहीं थी और जगदेव के द्वारा कोई भी चोट मुन्नालाल यादव को नहीं पहुँचाई गई थी।

06. आरोपीगण के विरुद्ध विचारित किए जा रहे अपराध के संबंध में विचारणीय यह है कि:-

1. क्या दिनांक 21.01.2010 को 14:45 बजे प्राथमिक शाला ग्राम अधियारी खुर्द थाना मौ क्षेत्र पर विधि विरुद्ध समूह का गठन किया और उसके सदस्य रहते हुए उसका सामान्य उद्देश्य मारपीट, बल व हिंसा का प्रयोग करने का था और इस दौरान बल व



हिंसा का प्रयोग कर बलवा कारित किया गया?

2. क्या उक्त दिनांक समय स्थान पर मैं विधि विरुद्ध समूह का गठन किया जिसका सामान्य उद्देश्य फरियादी व अन्य पर बल प्रयोग करने का था, उस समूह के सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में बल व हिंसा का प्रयोग कर बलवा कारित किया और इस दौरान आरोपी जगदेव एवं हरेन्द्र तथा शिवराम आघत आयुध 12बोर बंदूक, कुल्हाड़ियों से सुसज्जित थे?
3. क्या आरोपीगण के द्वारा उपरोक्त दिनांक समय स्थान पर आरोपी हरेन्द्रसिंह के द्वारा विजयराम एवं गुरुदयाल को तथा आरोपी शिवराम के द्वारा आहत राजेन्द्रसिंह को धारदार हथियार कुल्हाड़ी से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की?
4. क्या अन्य सहआरोपीगण के द्वारा उपरोक्त सहआरोपियों के साथ उक्त आहतों को मारपीट करने का सामान्य उद्देश्य निर्मित किया गया और उसके अग्रसरण में कार्य करते हुए उक्त आहतों को धारदार हथियार कुल्हाड़ी से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की गई।
5. क्या आरोपी जगदेवसिंह के द्वारा मुन्नासिंह को 12बोर की बंदूक से फायर इस आशय या ज्ञान से और ऐसी परिस्थितियों में कारित किया कि यदि मुन्नासिंह की मृत्यु हो जाती तो वह हत्या के दोषी हो जाते।
6. मुन्नासिंह को इस प्रकार से बंदूक से चोट पहुँचाकर उपहति कारित की?
7. क्या अन्य सहआरोपीगण के द्वारा मुन्नासिंह के साथ मारपीट करने का सामान्य उद्देश्य निर्मित किया और उसके अग्रसरण में कार्य करते हुए आरोपी जगदेव के द्वारा मुन्नासिंह को इस आशय या ज्ञान से और ऐसी परिस्थितियों में कि यदि उसकी मृत्यु हो जाती तो हत्या के दोषी होते, इस प्रकार उसे चोट पहुँचाकर उपहति कारित की?
8. क्या आरोपी जगदेवसिंह अपने आधिपत्य में 12 बोर की बंदूक एवं तीन जिंदा कारतूस बिना वैध अनुज्ञप्ति के रखे हुए था?
09. क्या आरोपी जगदेवसिंह के द्वारा उक्त अग्नेयशस्त्र 12बोर की बंदूक का प्रयोग घटना कारित करने में किया?

### —: सकारण निष्कर्ष:—

#### बिन्दु क्रमांक 1 लगायत 7 :-

07. डॉ० बी०अर्गल अ०सा० 1 के द्वारा दिनांक 21.01.2010 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मौ पर मेडीकल ऑफीसर के पद पर पदस्थ दौरान थाना मौ के आरक्षक रणवीर मिश्रा नम्बर 487 के द्वारा लाए जाने पर आहत मुन्नासिंह यादव का मेडीकल परीक्षण किया था जिसे निम्न चोटें पाई थी— (i) बाईं तरफ छाती में बगल की तरफ एक मिली मीटर आकार के चार घाँव उपस्थित थे जिनके चारों तरफ खून लगा हुआ था। (ii) बाईं भुजा के बाहर की तरफ एक मिली मीटर व्यास के आकार के तीन घाँव उपस्थित थे जिनके चारों तरफ खून लगा हुआ था, घाँव के चारों तरफ लालिमा उपस्थिति नहीं था तथा निकासी घाँव भी उपस्थित नहीं था। उक्त साक्षी के द्वारा अभिमत में बताया है कि आहत को आई हुई उक्त चोटें अग्नेय शस्त्र से पहुँचाई गई थी जो कि परीक्षण के 24 घण्टे के अंदर की थी। चोटों की प्रकृति साधारण थी, किन्तु एक्सरे व इलाज के बाद बदल सकती थी इसलिए आहत को छाती व भुजा के एक्सरे एवं इलाज हेतु जे०ए०एच० ग्वालियर भेजा गया। उनके द्वारा तैयार मेडीकल रिपोर्ट प्र.पी. 1 है जिसके ए से ए भाग पर उनके हस्ताक्षर हैं।

08. उक्त साक्षी के द्वारा उपरोक्त दिनांक को उसी आरक्षक द्वारा लाए जाने पर आहत राजेन्द्रसिंह का मेडीकल परीक्षण किया था जिसे निम्न चोटें परीक्षण के दौरान पाई गई— (i) फटा हुआ घाँव सिर में दाहिनी तरफ सिर के मध्य लाइन के 1 इंच दाहिनी तरफ  $2.5 \times 1/2$  इंच आकार में था जिसके ऊपर जमा हुआ खून उपस्थित था। उक्त साक्षी के द्वारा अभिमत में बताया है कि आहत को आई हुई चोट सख्त एवं भौतरे हथियार के द्वारा पहुँचाई गई थी जो कि 24 घण्टे के अंदर की थी। आहत को सिर के एक्सरे लिए जे०ए०एच० हॉस्पिटल ग्वालियर भेजा गया था। उनके द्वारा तैयार मेडीकल रिपोर्ट प्र.पी. 2 है जिसके ए से ए भाग पर उनके हस्ताक्षर हैं।

09. उक्त दिनांक को ही उक्त आरक्षक के द्वारा लाए जाने पर आहत गुरुदयाल का मेडीकल परीक्षण किया गया था जिसके शरीर पर निम्न चोटें पाई गई— (i) तीन घाँव  $3/4 \times 1/2$  इंच आकार में सिर के आगे के भाग में मध्य लाइन के 1 इंच दाहिनी तरफ उपस्थित था जिसके ऊपर जमा हुआ खून उपस्थित था। (ii) दाहिने कंधे के पीछे की तरफ नीलगू निशान  $2 \times 1$  इंच आकार में उपस्थित था। उक्त साक्षी के द्वारा अभिमत में बताया है

कि आहत को आई हुई चोट क्रमांक 2 साधारण प्रकृति की थी जो कि सख्त एवं भौतरे हथियार के द्वारा पहुँचाई गई थी तथा चोट क्रमांक 1 की प्रकृति जानने के लिए एक्सरे की सलाह दी थी। उक्त चोटें परीक्षण के 24 घण्टे के अंदर की थी। आहत को इलाज एवं एक्सरे हेतु जे0ए0एच0 ग्वालियर रेफर किया गया था। उनके द्वारा तैयार मेडीकल रिपोर्ट प्र.पी. 3 है जिसके ए से ए भाग पर उनके हस्ताक्षर हैं।

10. डॉ0 अमित ओझा अ0सा0 15 के द्वारा दिनांक 21.01.2010 को सर्जरी विभाग जे0ए0एच0 अस्पताल ग्वालियर में सहायक प्राध्यापक के रूप में पदस्थ दौरान आहत मुन्नासिंह जो कि बाँए भुजा एवं बाँए चेस्ट पर फायर आर्म्स इंजरी के लिए भर्ती किया गया था। उक्त आहत की बाँई भुजा से एक मेटालिक फोरेन बोडी लोकल एनेस्थीसिया देकर दिनांक 04.02.10 को ऑपरेशन कर के निकाली गई। उक्त आहत जे0ए0एच0 सर्जरी विभाग में दिनांक 21.01.2010 से दिनांक 05.02.2010 तक भर्ती रहा था। आहत के शरीर पर 8 चोटें पाई गई— (i) 0.5 x 0.5 से.मी. का एक सुपर फीसियल घाँव भुजा के एन्टीरियर सर्फेस पर लगभग लेफ्ट इपीकोनडाइल से 6 से.मी. एन्टेरोमीडियल था। (ii) 0.5 x 0.5 से.मी. का एक सुपर फीसियल घाँव स्किनडीप लेफ्ट आर्म के लगभग 15 से.मी. लेटरल इपीकोनडाइल के प्रोक्सीमल था। (iii) 0.5 x 0.5 से.मी. का सर्कुलर सुपर फीसियल घाँव स्किनडीप लेफ्ट आर्म के लगभग 8 से.मी. लेटरल इपीकोनडाइल के एन्टेरोलेटरल था। (iv) 0.5 x 0.5 से.मी. का सर्कुलर सुपर फीसियल घाँव स्किनडीप थर्ड इन्टरकोस्टल स्पेस में लगभग 10 से 12 से.मी. लेफ्ट मूनूब्रीयम से था। (v) 0.5 x 0.5 से.मी. का सर्कुलर सुपर फीसियल घाँव स्किनडीप फिफ्थ इन्टरकोस्टल स्पेस से लगभग 14 से 15 से.मी. स्टर्नम से दूर लेफ्ट साइड में इन्टीरियर एक्जीलरी लाइन पर था। (vi) 0.5 x 0.5 से.मी. का सर्कुलर सुपर फीसियल घाँव स्किनडीप सिक्स इन्टरकोस्टल स्पेस में लगभग 16 से 17 से.मी. स्टर्नम से दूर मिड एक्जीलरी लाइन में था। (vii) 0.5 x 0.5 से.मी. का सर्कुलर सुपर फीसियल घाँव स्किनडीप लेफ्ट 11 रिव पर निप्पल से लगभग 8 से.मी. नीचे मिडक्लेवीकुलर लाइन पर था। (viii) 0.5 x 0.5 से.मी. का सर्कुलर सुपर फीसियल घाँव स्किनडीप लेफ्ट हाइपो गेस्ट्रिक रीजन पर लगभग 10 से.मी. अम्बलाइकस से सुपेरोलेटरल था। उक्त संबंध में साक्षी अपने साथ आहत के इलाज से संबंध में केश शीट अपने साथ लेकर आया है जिसमें 1 लगायत 29 पृष्ठ हैं और चार एक्सरे फिल्म हैं जो प्र.पी. 25 है जिसके ए से ए भाग पर उनके हस्ताक्षर हैं।

11. डॉक्टर विवेक कुमार सोनी अ0सा0 14 के द्वारा बताया गया है कि वह वर्ष 2014 से जे0ए0एच0 ग्वालियर में रेडियोलॉजिस्ट विभाग में रेसीडेंट मेडीकल ऑफिसर के पद

पर पदस्थ है। डॉक्टर संजीव शिल्पकार उनके वरिष्ठ है एवं डॉक्टर मेघा मित्तल वर्तमान में अस्टिंट प्रोफेसर के रूप में जे0ए0एच0 ग्वालियर में पदस्थ है, जिनके साथ उनके द्वारा कार्य किया गया है इसलिए वह दोनों चिकित्सकों के हस्ताक्षर पहचानते हैं। साक्षी के द्वारा बताया गया है कि दिनांक 21.01.2010 को आहत मुन्ना का एक्सरे किया था। जिसमें छाती एवं बाएं अग्र भाग के एक्सरे परीक्षण में उल्टे अग्र बाहू, छाती तथा पेट के साफ्ट टिशु में धातु के घात की रेडिया ओपेक शैली देखी गई। रिपोर्ट प्र.पी. 24 है जिस पर ए से ए भाग पर डॉक्टर संजीव शिल्पकार एवं बी से बी भाग पर डॉक्टर मेघा मित्तल के हस्ताक्षर हैं। एक्सरे प्लेट आर्टिकल ए1 लगायत ए5 है।

12. इस प्रकार उपरोक्त चिकित्सकों के कथन से स्पष्ट है कि घटना के पश्चात् आहत मुन्नासिंह के शरीर पर उपरोक्त बताई गई चोटें मौजूद थी तथा आहत राजेन्द्रसिंह और गुरुदयाल के शरीर पर भी उपरोक्त बताई हुई चोटें मौजूद थी। अब विचारणीय यह हो जाता है कि— क्या आहतों को उपरोक्त बताई गई उपहतियाँ स्वेच्छया कार्य करते हुए पहुँचाई गई? क्या आहत आहत मुन्ना की हत्या के प्रयत्न के दौरान उसे उपहति कारित की गई? क्या आरोपीगण के द्वारा घातक आयुधों से सुसज्जित होकर बलवा कारित किया गया?

13. घटना के फरियादी/रिपोर्टकर्ता सुरमेश अ0सा0 2 के द्वारा अपने साक्ष्य कथन में अभियोजन के द्वारा बताए गए घटनाक्रम एवं प्रकरण का कोई समर्थन नहीं किया गया है, उसके द्वारा केवल यह बताया गया है कि पंचायत चुनाव के दौरान अधियारीखुर्द पोलिंगबूथ के बाहर काफी भीड़ थी और किसी ने पत्थर फेंक दिये थे और गाली गलोज किया था जिसमें उसे मुदी चोटें आई थी। घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखाई गई जो प्र.पी. 4 है जिस पर ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। घटना के फरियादी के द्वारा अभियोजन प्रकरण का समर्थन न करने के कारण अभियोजन के द्वारा उसे पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, किन्तु इस दौरान भी फरियादी/रिपोर्टकर्ता के द्वारा अभियोजन प्रकरण का कोई भी समर्थन नहीं किया गया है।

14. अभियोजन प्रकरण के संबंध में अन्य साक्षी राजेन्द्र सिंह अ0सा0 5, गुरुदयाल अ0सा0 6 जो कि घटना का आहत साक्षीगण हैं तथा साक्षी दिनेश अ0सा0 4 के द्वारा पंचायत चुनाव के दौरान भीड़ में झगडा हो जाने के संबंध में बताये हैं। अभियोजन प्रकरण जिस प्रकार से बताया जा रहा है उसका कोई समर्थन उपरोक्त साक्षीगण के द्वारा नहीं किया गया है। उक्त साक्षीगण को भी अभियोजन के द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया है। विजयराम



जो कि घटना में अन्य आहत होना बताया जा रहा है, यद्यपि उसका कोई मेडीकल परीक्षण भी नहीं हुआ है उसके कथन अभियोजन के द्वारा नहीं कराए गए हैं, उसे अभियोजन के द्वारा बिना परीक्षण के छोड़ा गया है।

15. अभियोजन प्रकरण के संबंध में अभियोजन साक्षी शैलू अ0सा0 3 के द्वारा आरोपीगण को पहचानना स्वीकार करते हुए बताया है कि अधियारीखुर्द स्कूल की घटना है, जहाँ कि सरपंची का चुनाव हो रहा था उसमें सुरमेश कुशवाह और जगदेवसिंह चुनाव लड़ रहे थे, पौने तीन बजे जगदेवसिंह का लड़का हरेन्द्र एक फर्जी महिला को बोट डलवाने के लिए लाया और लाइन में लगा दिया जिस पर कि सुरमेश कुशवाह के द्वारा विरोध किया गया तब पीठासीन अधिकारी ने उस महिला को बाहर निकला दिया, इसी रंजिश पर से वाउण्डरी के बाहर आरोपी हरेन्द्र, शिवराम कुल्हाड़ी, आरोपी मोदी, बंटी, गंभीर, अभिलेख सुरमेश की लात घूसों से मारपीट करने लगे। वह, उसका भाई दीपक, पिता मुन्नासिंह, राजेन्द्र गुरुदयाल, विजयराम सुरमेश को बचाने के लिए गए तभी जगदेवसिंह ने मारने की नयित से उसके पिता मुन्नासिंह पर 12 बोर की बंदूक से फायर किया जो कि उसके पिता मुन्नासिंह को छाती में वाई तरफ लगा। आरोपी शिवराम ने कुल्हाड़ी मारी जो राजेन्द्र के सिर में लगकर खून निकल आया और अन्य जगह मूदी चोटें आई। आरोपी हरेन्द्र ने कुल्हाड़ी गुरुदयाल को मारी जो उसके माथे पर लगी, दूसरी कुल्हाड़ी आरोपी हरेन्द्र ने विजयराम को मारी, आरोपी मोदी, गंभीर, बंटी, अभिलाख सभी यह कह रहे थे कि मारो जिंदा न बच पाए, वहाँ पर मौजूद पुलिस वालों ने हवाई फायर किया था जिस पर आरोपी भाग गए थे। पुलिस आ गई थी तथा दीपक, सुरमेश, मुन्ना, राजेन्द्र और गुरुदयाल थाने चले गए थे।

16. अभियोजन प्रकरण के संबंध में घटना में बताए गए आहत मुन्नासिंह अ0सा0 13 के द्वारा अभियोजन प्रकरण के संबंध में यह बताया गया है कि ग्राम अधियारीखुर्द में पंचायत चुनाव में बोट डाले जा रहे थे। पंचायत चुनाव में वह मतदान के लिए मतदान केन्द्र पर गया था, उसी समय जगदेवसिंह का पुत्र हरेन्द्र एक महिला को बोट डलवाने के लिए लाया था जिस पर सुरमेश ने विरोध किया था और महिला को फर्जी होना कहा था, महिला से पीठासीन अधिकारी ने पूछताछ की तो महिला फर्जी पाई गई और उसे मदान केन्द्र से बाहर कर दिया गया। इसी रंजिश पर से जगदेवसिंह 12 बोर कली बंदूक, हरेन्द्र कुल्हाड़ी, शिवराम कुल्हाड़ी लेकर, गंभीर, बंटी, मोदी और अभिलाख गाली गलोज करने लगे और सुरमेश को वाउण्डरी के बाहर खींचकर ले गए और लात घूसों से मारपीट करने लगे। वह, राजेन्द्र, विजयराम, गुरुदयाल, दीपक, शैलू बचाने के लिए गए तो आरोपी कहने लगे कि इन्हें जान से खत्म कर

दो। इसी बात पर से जगदेवसिंह ने मारने की नियत से 12 बोर की बंदूक से फायर किया जो सीना और वाह में वाई तरफ लगी। हरेन्द्र ने कुल्हाड़ी से गुरुदयाल के माथे में मारा और विजयराम को भी कुल्हाड़ी मारी जो उसके सिर में लगी, विजयराम ने कुल्हाड़ी से राजेन्द्र को मारा जो कि सिर में लगी थी। वहाँ पर मौजूद पुलिस वालों ने हवाई फायर किये थे। उन्हें घटनास्थल से थाना ले गए थे जहाँ सुरमेश ने रिपोर्ट लिखाई थी। उसे इलाज हेतु ग्वालियर रेफर किया गया था जहाँ 19-20 दिन तक वह भर्ती रहा था।

17. अभियोजन साक्षी जे0आर0जुमनानी अ0सा0 16 तत्कालीन थाना प्रभारी थाना मौ के द्वारा घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी. 4 लेखबद्ध करना जिस पर डी से डी भाग पर उनके हस्ताक्षर होना तथा घटनास्थल का नक्शामौका प्र.पी. 10 के अनुसार बनाना जिस पर बी से बी भाग पर उनके हस्ताक्षर होना तथा इसके अतिरिक्त घटनास्थल से खून आलूदा मिट्टी, सादी मिट्टी एवं 12बोर के कारतूस का खोखा, 315बोर के कारतूस का खोखा जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी. 26 बनाना और फरियादी सुरमेश, साक्षी शैलू उर्फ शैलेन्द्र, दिनेशसिंह, राजेन्द्रसिंह के कथन लेखबद्ध करना बताया है। साक्षी ने आरोपी हरेन्द्र, शिवराम को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ करना जो कि प्र.पी. 19, 20 के मेमोरेण्डम के आधार पर प्र.पी. 21, 22 के अनुसार उनसे कुल्हाड़ियों की जप्ती करना बताया है। आरोपी जगदेवसिंह के मेमोरेण्डम कथन प्र.पी. 12 के अनुसार उसके पेश करने पर 12 बोर की एकनाली बंदूक देशी हाथ की बनी हुई और कारतूस जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी. 13 बनाना बताया है।

18. अभियोजन साक्षी भूपसिंह अ0सा0 9 तथा प्रेमसिंह अ0सा0 11 जो कि आरोपी जगदेवसिंह से पूछताछ के संबंध में मेमोरेण्डम प्र.पी. 12 तथा उसके आधार पर बंदूक एवं कारतूस की जप्ती प्र.पी. 12 के साक्षी है। साक्षी भूपसिंह अ0सा0 9 पक्षद्रोही रहा है, जबकि साक्षी प्रेमसिंह के द्वारा जप्ती की कार्यवाही का समर्थन करते हुए मेमोरेण्डम प्र.पी. 12 एवं जप्ती पत्रक प्र.पी. 13 के बी से बी भाग पर अपने हस्ताक्षर होना बताया है। साक्षी महिपालसिंह अ0सा0 12 जो कि आरोपी हरेन्द्र, शिवराम से की गई कुल्हाड़ी की जप्ती के संबंध में साक्षी है के द्वारा भी अभियोजन प्रकरण का समर्थन नहीं किया गया है और वह पक्षद्रोही रहा है, यद्यपि जप्ती पत्रक प्र0पी0 21 व 22 के ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर होना उसके द्वारा स्वीकार किया गया है।

19. बचाव पक्ष के द्वारा बचाव साक्षी के रूप में नारायणसिंह ब0सा0 1 के कथन कराए गए हैं जिसके द्वारा यह बताया गया है कि घटना दिनांक को जगदेवसिंह जो कि

सरपंच पद के प्रत्यासी थे वह मतदान केन्द्र पर उपस्थित थे, लेकिन कोई बंदूक नहीं लिए हुए थे और न ही उनके द्वारा कोई बंदूक चलाई गई थी तथा मुन्ना यादव को कोई चोट भी नहीं पहुँचाई गई थी। इसके अतिरिक्त बचाव पक्ष के द्वारा प्र.डी. 1 लगायत प्र.डी. 15 के दस्तावेज पेश किए गए हैं।

20. अभियोजन तथा बचाव पक्ष के द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त सम्पूर्ण साक्ष्य के संबंध में साक्षियों के सम्पूर्ण कथनों के परिप्रेक्ष्य में और उनके प्रतिपरीक्षण उपरांत उनकी विश्वसनीयता और साक्ष्य मूल्य के संबंध में विचार किया जाना उचित होगा।

21. सर्वप्रथम घटना के फरियादी/रिपोर्टकर्ता सुरमेश अ0सा0 2 जिसने कि घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी. 4 दर्ज कराई है, उक्त फरियादी के द्वारा अपने साक्ष्य कथन में अभियोजन प्रकरण जैसा होना बताया गया है उसका कोई समर्थन नहीं किया गया है। इस प्रकार उक्त साक्षी पक्षद्रोही रहा है। उक्त साक्षी को अभियोजन के द्वारा सूचक प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, जिसमें कि उक्त साक्षी के द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं पुलिस को दिए गए धारा 161 जा.फौ. के कथनों में घटना के संबंध में दर्ज कराई गई रिपोर्ट एवं पुलिस को बताए गए तथ्यों से इन्कार किया है और घटना के समय फर्जी महिला को बोट डलाने हेतु आने और मतदान केन्द्र के बाहर आरोपीगण के द्वारा उनके साथ गाली गलोज करने और उसकी मारपीट करना तथा जगदेवसिंह के 12 बोर की बंदूक, शिवराम और हरेन्द्र के कुल्हाड़ी लेकर आने और जगदेव के द्वारा गोली चलाई जाने जो कि मुन्ना की वांह और छाती में उसके छर्रे लगना और शिवराम के द्वारा उसके पिता राजेन्द्रसिंह को और हरेन्द्र ने गुरुदयाल के सिर में कुल्हाड़ी मारकर चोट पहुँचाए जाने के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी. 4 एवं पुलिस कथन प्र.पी. 5 में उक्त तथ्य दर्ज कराए जाने अथवा बताए जाने से इन्कार किया है।

22. इस संबंध में यह भी उल्लेखनीय है कि घटना के अन्य साक्षी एवं आहत दिनेश अ0सा0 4, राजेन्द्र अ0सा0 5, गुरुदयाल अ0सा0 6 जो कि घटना के समय घटनास्थल पर मौजूद होने बताए गए हैं और घटना के आहत भी हैं, उक्त आहत साक्षीगण भी पक्षद्रोही रहे हैं। पक्षद्रोही साक्षियों के कथन का जहाँ तक प्रश्न है, इस संबंध में यह सुस्थापित सिद्धांत है कि मात्र इस आधार पर कि किसी साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया है, इस कारण उसके पूरी साक्ष्य निरर्थक या वास आउट नहीं हो जाती। पक्षद्रोही हुए साक्षी के मामले पर न्यायालय को सामान्यतः उसके कथन की पुष्टि देखनी चाहिए और सतर्कता से छानबीन करनी चाहिए, जैसा कि इस संबंध में खुज्जी उर्फ सुरेन्द्र तिवारी वि0 स्टेट ऑफ एम.पी. ए.आई.आर.

1991 एस.सी. 1853 एवं गुरुप्रीतसिंह वि० स्टेट ऑफ हरयाणा (2002)8 एस.सी.सी. 18 इस संबंध में उल्लेखनीय है।

23. प्रकरण में अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त आहत एवं साक्षी राजेन्द्र अ०सा० 5, गुरुदयाल अ०सा० 6 एवं दिनेश अ०सा० 4 के कथनों का जहाँ तक प्रश्न है, उक्त साक्षीगण के कथन में कहीं भी किसी भी बिन्दु पर अभियोजन प्रकरण को समर्थन करने वाला कोई भी तथ्य नहीं आया है। ऐसी दशा में उक्त पक्षद्रोही साक्षियों के कथनों के आधार पर अभियोजन प्रकरण की किसी प्रकार से कोई सम्पुष्टि होनी नहीं पाई जाती है।

24. इस प्रकार घटना का फरियादी/रिपोर्टकर्ता एवं अन्य आहत बताए गए साक्षीगण गुरुदयाल, दिनेश, राजेन्द्र के कथनों से अभियोजन घटनाक्रम की कोई भी सम्पुष्टि या समर्थन नहीं होता है। अब प्रकरण में अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत साक्षीगण शैलू अ०सा० 3 और मुन्नासिंह अ०सा० 13 के कथन महत्वपूर्ण हो जाते हैं।

25. अभियोजन साक्षी शैलू अ०सा० 3 के प्रतिपरीक्षण उपरांत उसके कथनों का जहाँ तक प्रश्न है, प्रतिपरीक्षण में साक्षी इस बात को स्वीकार किया है कि हरेन्द्र की रिपोर्ट के आधार पर उसके, सुरमेश, मुन्नालाल, दीपक, दिनेश, गुरुदयाल और राजेन्द्र के विरुद्ध धारा 307 भा०दं०वि० का प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है जिसका प्रकरण इस न्यायालय में चल रहा है। प्रतिपरीक्षण कंडिका 4 में बताया है कि घटना के पश्चात् वह घर चला गया था, घायलों का इलाज कहाँ और कैसे हुआ उसे पता नहीं। साक्षी कंडिका 11 में बताया है कि गोली लगने के बाद उसके पिता मुन्नालाल होश में थे अथवा नहीं यह भी उसे नहीं पता और यह भी बताया है कि उसके पिता गोली लगने के बाद उससे नहीं बोले थे और न ही कोई बात बताई थी। साक्षी ने कंडिका 13 में बताया है कि उसके पिता ने उससे कहा था कि तुम घर चले जाओ इसलिए वह घर चला गया था और घटनास्थल पर उसने पुलिस वालों को नहीं बताया था कि उसके पिता को जगदेव ने गोली मारी है। अपने पिता को देखने वह मौ अस्पताल भी नहीं गया और ग्वालियर में भी जहाँ उसके पिता 15-20 दिन तक भर्ती रहे उन्हें देखने नहीं गए थे। पिता के लौटने के बाद भी वह वयान देने के लिए थाना मौ नहीं गया था।

26. यह उल्लेखनीय है कि उक्त साक्षी शैलू अ०सा० 3 के पुलिस कथन घटना जो कि दिनांक 21.01.2010 की है साक्षी के धारा 161 दं.प्र.सं. के कथन दिनांक 05.04.2010 को अर्थात् घटना के साढ़े तीन महीने पश्चात् लेखबद्ध किए गए हैं। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि साक्षी जो कि घटना का चक्षुदर्शी साक्षी होना बताया गया है और उसके सामने ही



पुलिस मौके पर घटना स्थल पर आना बता रहा है, किन्तु इस दौरान उसके द्वारा पुलिस को घटना के संबंध में कोई भी बात क्यों नहीं बताई गई यह विचारणीय है? इसके अतिरिक्त उसके पिता मुन्नालाल जो कि घटना में घायल होना बताया जा रहा है उसके 20 दिन में इलाज से ग्वालियर से लौटने के पश्चात् भी पुलिस के द्वारा उसका कोई कथन नहीं लिया गया है, जबकि साक्षी यह कह रहा है कि वह अकेला वयान देने के लिए गया था। साक्षी को स्पष्ट रूप से यह सुझाव दिया गया है कि बाद में सोच समझकर उसने पुलिस को करीब चार महीने बाद झूठा कथन दिया है, जिसको कि साक्षी ने इन्कार किया है। निश्चित तौर से यदि उक्त साक्षी जो कि घटना का चक्षुदर्शी साक्षी है और उसके धारा 161 दं.प्र.सं. के कथन विलम्ब से लिए जाने के संबंध में कोई भी स्पष्टीकरण नहीं है जो कि उसके साक्ष्य कथन की विश्वसनीयता को प्रभावित करता है।

27. इसके अतिरिक्त यह भी उल्लेखनीय है कि साक्षी के द्वारा अपने साक्ष्य कथन में इस बात को स्वीकार किया है कि हरेन्द्र की रिपोर्ट के आधार पर उसके, सुरमेश, मुन्नालाल, दीपक, दिनेश, गुरुदयाल और राजेन्द्र के विरुद्ध न्यायालय में प्रकरण चल रहा है जो कि बचाव पक्ष के द्वारा इस संबंध में अपराध क्रमांक 07/2010 जो कि हरेन्द्र की रिपोर्ट के आधार पर धारा 307, 336, 147, 148, 149 भा0दं0वि0 का अपराध वर्तमान साक्षी सहित सुरमेश, मुन्नालाल, दीपक, दिनेश, गुरुदयाल और राजेन्द्र के विरुद्ध प्राथमिक शाला भवन अधियारीखुर्द के बाहर की घटना के संबंध में रिपोर्ट पर प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है। उक्त घटना का घटना स्थल उसी स्थान पर होना दर्शाया गया है जो कि वर्तमान प्रकरण का घटनास्थल है जो कि इस संबंध में घटनास्थल का नक्शामौका प्र.डी. 15 से स्पष्ट होता है। उक्त घटना में हरेन्द्र, जयदेवी, शिवरामसिंह, धर्मेन्द्रसिंह, सुरेन्द्रसिंह, गंभीरसिंह को चोटें आई हैं जो कि इस संबंध में एम.एल.सी रिपोर्ट प्र.डी. 1 लगायत प्र.डी. 6 के दस्तावेजों से स्पष्ट होता है जैसा कि इस संबंध में चिकित्सक डॉक्टर बी0अर्गल अ0सा0 1 के द्वारा उक्त बात को स्वीकार किया है।

28. वर्तमान प्रकरण का प्रारंभ साक्षी हरेन्द्र के द्वारा फर्जी महिला को बोट डलवाने के लिए लाना और लाइन में लगाना जिसका कि सुरमेश के द्वारा विरोध करना और पीठासीन अधिकारी के द्वारा महिला को बाहर निकाल देना और इसी रंजिश को लेकर के सुरमेश की लात घूँसों से मारपीट करना और उसे बचाने के लिए उसके भाई दीपक, वह, उसके पिता मुन्नालाल, राजेन्द्र, गुरुदयाल और विजयराम के जाने पर जगदेवसिंह के द्वारा फायर करना बताया है, किन्तु इस संबंध में उल्लेखनीय है कि साक्षी शैलू अ0सा0 3 अपने पुलिस कथन में साक्षी ने मतदान केन्द्र के बाहर होना और मतदान केन्द्र के अंदर से हरेन्द्र, शिवराम, गंभीर,

बंटी, अभिलाख के द्वारा वाउण्डरी से बाहर ले आने के संबंध में बताया है, जबकि न्यायालय में हुए कथन पर सुरमेश के वाउण्डरी के बाहर होना वह बता रहा है, इस प्रकार सुरमेश के घटना के समय घटनास्थल पर मौजूदगी के बिन्दु पर विरोधाभासी कथन आए हैं। इस बिन्दु पर प्रतिपरीक्षण कंडिका 8 में साक्षी यह बता रहा है कि सुरमेश वाउण्डरी के बाहर अपने आप पहुँच गया था, वाउण्डरी के अंदर नहीं था और जब वह वाउण्डरी के बाहर गया था तब उसकी मारपीट हुई थी। इस बिन्दु पर पुलिस कथन प्र.पी. 13 के ए से ए एवं बी से बी भाग पर साक्षी के कथन में विरोधाभास आना स्पष्ट होता है, जिससे कि साक्षी के साक्ष्य कथन की विश्वसनीयता प्रभावित होती है।

29. घटना के बताए गए आहत मुन्नासिंह अ0सा0 13 के कथन का प्रतिपरीक्षण उपरांत जहाँ तक प्रश्न है, उक्त साक्षी घटना का आहत होना बताया गया है, उसके द्वारा कोई भी रिपोर्ट घटना के संबंध में नहीं की गई है और न ही उसका धारा 161 दं0प्र0सं0 के अंतर्गत कोई कथन पेश किया गया है। जबकि फरियादी घटना वाले दिन थाना मौ पर जाना बता रहा है। साक्षी के द्वारा यह बताया जा रहा है कि पुलिस ने उसका वयान प्रकरण में से निकाल लिया था, किन्तु उक्त साक्षी मुन्नासिंह का केस डायरी के साथ भी कोई कथन लगा हो अथवा उसे बाद में भी अभियोजन के द्वारा न्यायालय के आदेश के उपरांत भी पेश नहीं किया जा सका। यद्यपि उक्त साक्षी घटना का आहत होना बताया गया है, किन्तु उसके साथ हुई घटना के संबंध में न तो उसके द्वारा कोई रिपोर्ट की गई है और न ही घटना के पश्चात् उसका धारा 161 दं.प्र.सं. के अंतर्गत कोई कथन लेखबद्ध किया गया है। ऐसी दशा में जबकि घटना के उक्त आहत एवं बताए गए महत्वपूर्ण साक्षी के घटना के पश्चात् धारा 161 दं.प्र.सं. के कथन ही लेखबद्ध नहीं किया गया है, जबकि उक्त साक्षी घटना के पश्चात् थाना में जाना बता रहा है। ऐसी दशा में उक्त साक्षी का सर्वप्रथम कथन न्यायालय के समक्ष होना स्पष्ट होता है। उक्त साक्षी के कथन पर सूक्ष्मता से विचार किया जाना और उसकी सम्पुष्टि किसी अन्य साक्ष्य के आधार पर होना आवश्यक है।

30. उक्त साक्षी प्रतिपरीक्षण कंडिका 13 में इस बात को स्वीकार किया है कि जगदेवसिंह चुनाव लड़ रहे थे और चुनाव के समय लाइसेंसी बंदूक जमा हो जाती है और इस बात को भी स्वीकार किया है कि जगदेवसिंह की 12 बोर बंदूक जमा थी। साक्षी उसका कुर्ता, बनियान एवं सजरी में बंदूक के छर्रे से छेद हो जाना बताया है, किन्तु इस प्रकार के किसी भी कपड़ों की जप्ती जिनमें कि छर्रे आदि के निशान लगे हो अभियोजन के द्वारा नहीं की गई है जिससे कि इस तथ्य की सम्पुष्टि हो सके। यह भी उल्लेखनीय है कि न्यायालय के समक्ष

साक्षी मुन्नासिंह उपस्थित हुआ है उसके द्वारा न्यायालय के समक्ष अपने कपड़े उतारकर के उसके शरीर में बताए हुए स्थानों पर चोट के निशान दिखाए गए, किन्तु न्यायालय के द्वारा भी कोई भी निशान होना नहीं पाया गया। इस संबंध में एफ.एस.एल. रिपोर्ट जो कि प्रकरण के साथ संलग्न है चले हुए 12 बोर के कारतूस जो कि घटनास्थल से जप्त किया जाना बताया गया है और जिसे कि परीक्षण हेतु भेजा गया है, उक्त परीक्षण रिपोर्ट में भी उक्त कारतूस के खोखे को परीक्षण हेतु भेजा गया है 12 बोर की बंदूक से चलाए जाने के संबंध में कोई भी निश्चित अभिमत न दे पाना उल्लेखित है। इस परिप्रेक्ष्य में एम.एल.सी. रिपोर्ट के आधार पर भी इस बिन्दु पर आहत मुन्नासिंह के कथन की सम्पुष्टि होना नहीं पायी जाती है।

31. इस परिप्रेक्ष्य में जबकि साक्षी का कोई भी धारा 161 जा.फौ. के तहत कथन लेखबद्ध नहीं है एवं घटना के फरियादी/रिपोर्टकर्ता के द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट का कोई भी समर्थन नहीं किया गया है, उक्त साक्षी के धारा 161 जा.फौ. का कोई कथन न होने से उसके कथनों में विरोधाभास अथवा बिसंगति का कोई अवसर बचाव पक्ष को नहीं मिल पाया है। इस स्थिति में उक्त साक्षी के साक्ष्य कथन जो कि प्रथम बार न्यायालय के समक्ष हुआ है, मात्र उसके आधार पर अभियोजन प्रकरण एवं घटनाक्रम की प्रमाणिकता सिद्ध मानी जानी कदापि सुरक्षित नहीं है। साक्षी के कथन की सम्पुष्टि अन्य किसी साक्ष्य के आधार पर होनी आवश्यक है।

32. इस संबंध में यह भी उल्लेखनीय है कि घटना के अन्य बताए गए आहत राजेन्द्र अ0सा0 5, गुरुदयाल अ0सा0 6 के कथनों में किसी भी आरोपीगण की घटनास्थल पर कहीं भी मौजूदगी अथवा उनके द्वारा किसी प्रकार की कोई घटना कारित किए जाने का कोई समर्थन नहीं किया गया है। जबकि उक्त दोनों ही घटना के आहत होने बताए गए हैं। उक्त साक्षीगण के द्वारा पक्षद्रोही घोषित करने पर सूचक प्रकार के प्रश्न पूछे जाने पर इस सुझाव से साफतौर से इन्कार किया है कि शैलू, दीपक, मुन्ना, विजयराम और गुरुदयाल, सुरमेश को बचाने के लिए गया तो जगदेवसिंह ने जान से मारने के लिए 12 बोर की बंदूक से फायर किया था जिसके छर्रे मुन्नालाल की छाती और बाईं वाह में लगा था। इसी प्रकार घटना के अन्य बताए गए चक्षुदर्शी साक्षी दिनेश अ0सा0 4, कोटवार धनीराम अ0सा0 8 जो कि घटना के संबंध में स्वतंत्र साक्षी होना बताए गए हैं के द्वारा भी अभियोजन प्रकरण का कोई समर्थन व पुष्टि नहीं की गई है। उक्त साक्षीगण को अभियोजन के द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने के दौरान इस सुझाव से साफतौर से इन्कार किया है कि स्कूल के बाहर राजेन्द्र, विजयराम, गुरुदयाल, मुन्नालाल, दीपक, शैलू, सुरमेश को बचाने के लिए आए तो इसी दौरान

जगदेव ने जान से मारने की नियत से 12 बोर की बंदूक से गोली चलाई थी जो कि छर्चा मुन्नालाल को लगे थे। इस प्रकार घटना के आहत साक्षीगण एवं स्वतंत्र साक्षीगण के द्वारा भी अभियोजन प्रकरण एवं आहत बताए गए मुन्नासिंह के कथन का कोई समर्थन या पुष्टि इस बिन्दु पर नहीं हुई है।

33. इस संबंध में यद्यपि आहत मुन्नासिंह का दिनांक 21.11.2010 को मेडीकल परीक्षण में चिकित्सक डॉक्टर बी०अर्गल के द्वारा आहत मुन्नासिंह के परीक्षण में उसे छाती के बगल में एवं भुजा में चोट पाए जाने के संबंध में उल्लेख किया है, किन्तु चिकित्सक के द्वारा प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया गया है कि मुन्नासिंह के घाँव के ऊपर कोई छर्छे बगैरह नहीं दिखे थे। इस बात को स्वीकार किया है कि उनके द्वारा कोई ऐसा ठोस आधार नहीं लिखा गया है कि मुन्नासिंह को आई चोट अग्नेयशस्त्र से ही आई है और इस बात को भी स्वीकार किया है कि आहत का इलाज मौ अस्पताल में हो सकता है, किन्तु उसके द्वारा कहने पर कि उसे ग्वालियर जाना है उसे ग्वालियर रफर कर दिया था। इस बिन्दु पर अन्य चिकित्सक डॉक्टर अमित ओझा अ०सा० 15 के द्वारा आहत मुन्नासिंह के बाएँ भुजा से मेटेलिक फोरेंसिक वॉडी निकालने के संबंध में बताया है तथा आहत के शरीर पर जो भी चोट थी वह सुपरफिसियल प्रकार की होना बताया है। प्रतिपरीक्षण में बताया है कि जो मेटेलिक वॉडी निकाली गई थी वह पेटेल आकार की थी। आहत के शरीर पर कोई भी ऐसी इँजुरी मौजूद हो जिससे कि वह प्राणघातक हो ऐसा भी नहीं कहा जा सकता है। इस संबंध में पूछे जाने पर कि उक्त चोटें स्व कारित हो सकती है, साक्षी ने इस संबंध में न बता पाना व्यक्त किया है। इस प्रकार चिकित्सीय अभिमत के आधार पर आहत को कोई प्राण घातक चोटें आई हो ऐसा प्रमाणित नहीं होता है। यह भी उल्लेखनीय है कि न्यायालय के समक्ष उक्त साक्षी के द्वारा उसके शरीर के घाँव के निशान दिखाने का प्रयास किया गया है, किन्तु उसके शरीर पर किसी भी प्रकार के घाँव के निशान नहीं देखे गए हैं।

34. इस प्रकार जबकि वर्तमान प्रकरण के आरोपीगण हरेन्द्र, शिवरामसिंह, धर्मेन्द्रसिंह, सुरेन्द्रसिंह, गंभीरसिंह के शरीर पर भी चोटें मौजूद हैं, जैसा कि इस संबंध में चिकित्सक के कथन एवं बचाव पक्ष के द्वारा प्रस्तुत प्रदर्श डी-1 लगायत प्रदर्श डी-12 तक के दस्तावेजों से भी स्पष्ट है। उक्त आरोपीगण के शरीर पर चोटें किस प्रकार से आई इस संबंध में कोई भी स्पष्टीकरण वर्तमान प्रकरण में अभियोजन की ओर से पेश नहीं गया है, जबकि इस संबंध में स्पष्टीकरण दिया जाना आवश्यक है। इस प्रकार फरियादीगण के शरीर पर आई हुई चोटों का कोई स्पष्टीकरण पेश न कर पाना भी अभियोजन के विरुद्ध जाता है।



35. घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट जो कि फरियादी सुरमेश के द्वारा की गई है जो कि सरपंच का प्रत्यासी था और जिसके साथ मारपीट प्रारंभ होना वर्तमान प्रकरण में बताया जा रहा है, किन्तु साक्षी सुरमेश के द्वारा कहीं भी आरोपीगण की घटनास्थल पर मौजूदगी अथवा आरोपीगण के द्वारा मारपीट की कोई घटना कारित किये जाने का कोई समर्थन नहीं किया गया है। इस संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी. 4 और पुलिस कथन प्र.पी. 5 में उल्लेखित बातों को उसके द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रकार के प्रश्न पूछे जाने के दौरान इन्कार किया गया है। ऐसी दशा में घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट के तथ्य स्वयं घटना के फरियादी के कथनों से प्रमाणित नहीं है। इस परिप्रेक्ष्य में वर्तमान प्रकरण के आरोपी पक्ष को घटना का प्रारंभकर्ता अर्थात् उनके द्वारा घटना की शुरुआत की गई हो ऐसा भी प्रमाणित नहीं होता है, जबकि क्रोस केश के मामलों में सर्वप्रथम यह प्रमाणित करना आवश्यक है कि घटना का प्रारंभकर्ता कौन है। प्रकरण में दोनों पक्षों के मध्य फ्रीफाईट हुई हो ऐसा भी अभियोजन साक्ष्य के आधार पर प्रमाणित नहीं होता है।

36. उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में प्रकरण में आई हुई अभियोजन साक्ष्य के आधार पर घटना दिनांक को आरोपीगण द्वारा विधि विरुद्ध जमाव का गठन करने एवं उसके सदस्य रहते हुए घातक आयुधों से सुसज्जित होकर बल व हिंसा का प्रयोग कर बलबा कारित कर आरोपीगण या किसी आरोपी के द्वारा आहत राजेन्द्र, विजयराम एवं गुरुदयाल को धारदार हथियार से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित करना अथवा आरोपीगण के द्वारा आहत मुन्ना की हत्या करने का प्रयत्न करने के संबंध में अभियोजन प्रकरण की प्रमाणिकता युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित होनी नहीं पाई जाती है।

#### बिन्दु क्रमांक 8 व 9:-

37. दिनांक 07.07.2010 को आरोपी जगदेवसिंह से एक 12 बोर एकनाली बंदूक व कारतूस जप्त किया जाना विवेचना अधिकारी साक्षी जे0आर0जुमनानी के द्वारा जप्ती पत्रक प्र. पी. 13 के अनुसार जप्त करना बताया गया है। उपरोक्त जप्ती के संबंध में अभियोजन के द्वारा मेमोरेण्डम एवं जप्ती के साक्षीगण भूपसिंह अ0सा0 9 एवं प्रेमसिंह अ0सा0 11 के कथन अभियोजन के द्वारा कराए गए हैं। साक्षी भूपसिंह अ0सा0 9 के द्वारा आरोपी जगदेवसिंह से कोई पूछताछ करना अथवा उससे किसी प्रकार की कोई जप्ती होने के तथ्य को स्वीकार नहीं किया है। इस प्रकार उक्त साक्षी पक्षद्रोही रहा है। इस बिन्दु पर अन्य अभियोजन साक्षी प्रेमसिंह अ0सा0 11 के द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में यद्यपि आरोपी जगदेवसिंह से पूछताछ

किया जाना एवं बंदूक और कारतूस की जप्ती होना तथा मेमोरेण्डम प्र.पी. 12 व जप्ती पत्रक प्र.पी. 13 पर अपने हस्ताक्षर होना बताया है, किन्तु उक्त साक्षी के प्रतिपरीक्षण में यह आया है कि प्र.पी. 12 व 13 पर पुलिस वालों ने जब वह भैंस चरा रहा था जो कि अमायन के लिए सड़क के किनारे पशु वह चरा रहा था वहाँ पर उसके हस्ताक्षर करा लिए थे, जबकि जप्ती पत्रक प्र.पी. 13 में जप्ती का जो स्थान दर्शाया गया है वह जगदेवसिंह के खेत में स्थित मकान ग्राम अधियारीखुर्द में होना दर्शाया गया है। ऐसी दशा में उक्त जप्ती के संबंध में साक्षी प्रेमसिंह अ0सा0 11 के कथन के आधार पर जप्ती की कार्यवाही की सम्पुष्टि होनी नहीं मानी जा सकती है। उपरोक्त जप्ती के संबंध में जप्तीकर्ता अधिकारी जे0आर0जुमनानी अ0सा0 16 के कथन का जहाँ तक प्रश्न है, साक्षी के प्रतिपरीक्षण में आए हुए तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मात्र उक्त साक्षी के कथन के आधार पर जप्ती की कार्यवाही प्रमाणित मानी जानी सुरक्षित नहीं है।

38. घटना में 12 बोर की बंदूक व कारतूस के प्रयोग आरोपी के द्वारा करने का जहाँ तक प्रश्न है, इस संबंध में प्रकरण के रिपोर्टकर्ता/फरियादी व अन्य आहत बताए गए चक्षुदर्शी साक्षियों के द्वारा आरोपी के पास घटना के समय अग्नेयशस्त्र मौजूद होना अथवा उसके द्वारा उससे फायर किया जाना के संबंध में नहीं बताया गया है। इस बिन्दु पर अभियोजन साक्षी मुन्ना जो कि घटना का आहत होना बताया गया है के कथन के परिप्रेक्ष्य में भी आरोपी के द्वारा अग्नेयशस्त्र का प्रयोग किया जाना प्रमाणित होना नहीं पाया गया है। इस बिन्दु पर घटनास्थल से जप्त किए गए कारतूस के परीक्षण में जो एफ.एस.एल रिपोर्ट प्रकरण के साथ संलग्न है, उसमें भी घटनास्थल से बरामद हुए 12 बोर के खोखा को 12 बोर की जप्तशुदा बंदूक से फायर करने के संबंध में भी कोई अभिमत नहीं आया है।

39. ऐसी दशा में जबकि आरोपी जगदेवसिंह से अग्नेयशस्त्र की जप्ती का तथ्य प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर प्रमाणित नहीं है, इस बिन्दु पर प्र0आर0 आर0मोहरर सुरेश दुवे अ0सा0 10 के कथन के आधार पर कि परीक्षण हेतु भेजा गया 12 बोर की बंदूक चालू हालत में पाई गई और कारतूस भी जिंदा अवस्था में पाया गया के आधार पर एवं इस संबंध में आयुध अधिनियम के अंतर्गत अभियोजन चलाए जाने की स्वीकृति साक्षी योगेन्द्रसिंह अ0सा0 7 के कथन के परिप्रेक्ष्य में आरोपी के विरुद्ध इस संबंध में लगाए गए आरोपी की प्रमाणिकता सिद्ध होनी नहीं मानी जा सकती है। इस परिप्रेक्ष्य में घटना दिनांक को आरोपी जगदेवसिंह के द्वारा अग्नेयशस्त्र का घटना में प्रयोग करने का तथ्य भी आई हुई साक्ष्य के आधार पर प्रमाणित होना नहीं पाया जाता है।

40. उपरोक्त विवेचना एवं विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण में आई हुई सम्पूर्ण अभियोजन साक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में अभियोजन का वर्तमान प्रकरण आरोपीगण के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित होना नहीं पाया जाता है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि अभियोजन को अपना प्रकरण हर संदेह से परे प्रमाणित करना होगा, संदेह की स्थिति का लाभ आरोपी प्राप्त करने का अधिकारी है। वर्तमान प्रकरण में आई हुई साक्ष्य के आधार पर अभियोजन प्रकरण की प्रामाणिकता युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित होनी नहीं पाई जाती है। अतः अभियोजन प्रकरण को संदेह से परे प्रमाणित होना न पाते हुए आरोपी जगदेव को आरोपित अपराध धारा 148, 307, 324/149 भा0दं0वि0 एवं धारा 25(1-बी)ए, 27 आयुध अधिनियम के आरोप से एवं आरोपी शिवराम, हरेन्द्र को आरोपित अपराध धारा 148, 307 विकल्प में धारा 307/149, 324/149 भा0दं0वि0 के आरोपी से एवं शेष आरोपीगण अभिलाख, बंटी, गंभीरसिंह, मोदी उर्फ सुरेन्द्र को आरोपित अपराध धारा 147, 324/149, 307/149 भा0दं0वि0 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

41. प्रकरण में जप्तशुदा 12 बोर की एकनाली बंदूक व जिंदा कारतूस एवं कारतूस के खोखे एवं घटनास्थल से जप्तशुदा 12 बोर के कारतूस के खोखे एवं 315 बोर का खोख अपील अवधि पश्चात् जिला दण्डाधिकारी भिण्ड को विधिवत निराकरण हेतु भेजा जावे। इसके अतिरिक्त जप्तशुदा 2 लोहे की कुल्हाड़ी एवं खून आलूदा मिट्टी व सादी मिट्टी मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् नष्ट किए जाए। अपील होने के दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देशों का पालन किया जाए।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित  
हस्ताक्षरित एवं घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टाईप किया गया

(डी0सी0थपलियाल)  
अपर सत्र न्यायाधीश, गोहद  
जिला— भिण्ड (म.प्र.)

(डी0सी0थपलियाल)  
अपर सत्र न्यायाधीश, गोहद  
जिला— भिण्ड (म.प्र.)